फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत सुमन देवी II, आर.ए.एस. **उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ**
महीपाल बनाम इन्द्राज वगै0
किस्म मुकदमा धारा **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल आर एक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128 पत्थरगढी)** मुकदमा न0 **73/2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2025	पत्रावली आज की तारीख पेशी में ली गयी। पत्रावली में आज बहस सुनी गयी दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थीगण 01 लगायत 04 की और से जवाब पेश नही किया गया है अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 का जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 05 की और से जवाब पूर्व मे पेश है। अप्रार्थी सख्या 06 एवं 07 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वाद ग्रस्त भुमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड राजस्व ग्राम नेतरामपुरा के खसरा नम्बर 140/38, 37 कुल किता 02 कुल रकबा 2.06 है0 की भुमि है। अतः प्रार्थी व पडोसी खातेदारान एवं सह खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नेतरामपुरा के खसरा नम्बर 140/38, 37 कुल किता 02 कुल रकबा 2.06 है0 की भूमि के प्रार्थीगण व सहखातेदार व पडौसी खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.07.2024 नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी की जावे । दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत सुमन देवी II, आर.ए.एस. **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**
भूपेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार वगै0
किस्म मुकदमा धारा **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल आर एक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128 पत्थरगढ़ी)** मुकदमा न0 **73/2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/06/2025	पत्रावली आज की तारीख पेशी में ली गयी। पत्रावली में आज बहस सुनी गयी दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकिंत तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थीगण 01 लगायत 04 की और से जवाब पेश नही किया गया है अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 का जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 05 की और से जवाब पूर्व मे पेश है। अप्रार्थी सख्या 06 एवं 07 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वाद ग्रस्त भुमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड राजस्व ग्राम नेतरामपुरा के खसरा नम्बर 140/38, 37 कुल किता 02 कुल रकबा 2.06 है0 की भुमि है। अतः प्रार्थी व पडोसी खातेदारान एवं सह खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नेतरामपुरा के खसरा नम्बर 140/38, 37 कुल किता 02 कुल रकबा 2.06 है0 की भूमि के प्रार्थीगण व सहखातेदार व पडौसी खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.07.2024 नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी की जावे । दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	